न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर कोर्ट केम्प पचपदरा

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या 10/2012

प्रार्थीगण		**विप्रार्थीगण**
हुकमाराम पुत्र देवाराम जाति प्रजापत निवासी मन्डापुरा (पचपदरा) तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर	बनाम	1. सरपचं ग्राम पंचायत पचपदरा 2. बाबूलाल उर्फ बाबूराम पुत्र जीवाजी जाति भील निवासी नई कॉलोनी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 781 दिनांक 27.9.1999 जो ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 बाबूलाल के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी उपस्थित।
2. विप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक 14.6.2017**

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 781 दिनांक 20.9.1999 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 20.9.1999 को भूखण्ड का पट्टा संख्या 781 जारी किया गया। जबकि इसी भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा प्रार्थी के आवेदन दिनांक 30.11.1994 को करने पर मिसल संख्या 29/1994 कायम कर प्रार्थी के नाम जारी करने हेतु दिनांक 19.12.1995 को आदेश दिये गये। परन्तु तत्कालीन ग्राम पचांयत द्वारा प्रार्थी को उक्त पट्टा जारी करने हेतु आदेश दिये जाने

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पर विप्रार्थी संख्या 2 बाबूलाल की धर्मपत्नी मोरकी देवी ने जिला परिषद की सदस्या होने के नाते अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर प्रार्थी को पट्टा जारी नहीं करने दिया। तत्पश्चात वर्ष 2002 में पूर्व में कायम की गई मिसल संख्या 29/94 में की गई कार्यवाही के आधार पर प्रार्थी को दिनांक 01.10.2002 को पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी ने उक्त पट्टे को दिनांक 31.01.2003 को उप पंजीयक पचपदरा द्वारा पंजीयन करवाया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड नारायण पुत्र सांवल से खरीदा गया था, नारायण पुत्र सांवल को तत्कालीन ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा राजस्थान पंचायत सामान्य नियम 1961 के तहत पट्टा संख्या 115 दिनांक 18.2.1968 पट्टा भी जारी किया गया था। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा उक्त पट्टा संख्या 781 जारी करने में नियमों की पूर्णतया अनदेखी की जाकर विप्रार्थी संख्या 02 को निजी लाभ पहुंचाने के उद्वेश्य से पूर्व में जारी किये गये पट्टे पर पुनः विप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत पचपदरा से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट पचपदरा में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 02 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. प्रार्थी द्वारा जाहिर किया गया कि उसके द्वारा उक्त पट्टासुद भूखण्ड नारायण पुत्र सांवल से दिनांक 10.5.1994 को खरीदा था, उक्त भूखण्ड का पट्टा नारायण के पिता सांवल के नाम तत्कालीन ग्राम पंचायत पचपदरा सिटी द्वारा दिनांक 18.2.1968 को जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का खरीदने के समय से ही कब्जा चला आ है। विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत पचपदरा ने राज.पंचायती राज नियमों की अनदेखी करते हुए प्रार्थी को बिना सुने ही विप्रार्थी संख्या 2 को इसी भूखण्ड का पट्टा संख्या 781 दिनांक 27.12.1999 जारी कर दिया, जबकि इसी भूखण्ड का पट्टा पूर्व में ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा सांवल को वर्ष 1968 में जारी किया जा चुका था, इसी भूखण्ड को प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.5.1994 को खरीदा गया, जिसका पट्टा विलेख दिनांक 01.10.2002 को

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

जारी किया गया एवं उप पंजीयक पचपदरा से दिनांक 31.01.2003 से रजिस्टर्ड करवाया गया है।

6. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत पचपदरा के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को यह विवादित पट्टा संख्या 781 दिनांक 27.9.1999 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया। नियम 157(2) अनुसार ऐसे परिवार, जिनके पास कहीं भी कोई गृह या गृह स्थल नहीं है और जिनका वर्ष 2003 तक झुग्गी–झोंपड़ी/कच्चे गृह के निर्माण के तौर पर आबादी भूमि पर कब्जा है, अधिकतम 300 गज तक कब्जे के मुफ्त विनियमितीकरण के हकदार होगें। उक्त पट्टा से सम्बन्धित ग्राम पंचायत पचपदरा से प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश करने पर मिसल कायम कर मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर विप्रार्थी को पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं पट्टा शुल्क के रूप में राशि रूपये 200/– जमा की गई। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के विरूद्व उक्त विवादग्रस्त पट्टे के सम्बन्ध में एक दीवानी वाद माननीय सिविल न्यायाधीश (क–ख) बालोतरा के न्यायालय में दिनांक 5.12.2012 को दायर किया गया। ग्राम पंचायत पचपदरा द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी करने हेतु समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कर पट्टा जारी किया गया हैं, फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी खारिज की जाती है एवं पट्टा संख्या 781 दिनांक 27.9.1999 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

निर्णय कोर्ट केम्प पचपदरा में आज दिनांक 14.6.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)